

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अरुण कुमार महतो

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.10029

में

2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1946

[के साथ 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.9962

में

2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1951]

25 सितंबर 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार अभियंत्रण सेवा (बीईएस) वर्ग-। में कार्यपालक अभियंताओं और उससे ऊपर के पदों के लिए अंतिम ग्रेडेशन/वरिष्ठता सूची सही है या नहीं? क्या विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा जी.आर. मामला सं.1687/2012, परीक्षण सं. 368/2017 में पारित निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून-प्रोन्नति-बिहार सरकार द्वारा बीईएस (दीवानी) संवर्ग के सभी समूहों की क्रमोन्नति/वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी—बीईएस वर्ग-। और बीईएस वर्ग-॥ दोनों की अनंतिम क्रमोन्नति सूची बीईएस वर्ग-। सेवा के संबंधित पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की गई थी और बीईएस वर्ग-॥ सेवा में प्रदान की गई सेवा पर विचार नहीं किया गया था-अपीलकर्ताओं को कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था-अपीलकर्ता निजी उत्तरदाताओं से कनिष्ठ हैं।

निर्णय: राज्य द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देने के अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए—बिहार राज्य में पदोन्नति में

आरक्षण, बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 द्वारा शासित है—निजी उत्तरदाता सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ हैं—विभाग द्वारा जारी अंतिम ग्रेडेशन सूची, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार निजी उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ दर्शाती है—रोस्टर बिंदुओं पर आरक्षण के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है—2002 के पूर्ववर्ती रोस्टर बिंदु पदोन्नतियों को प्रदान की गई परिणामी वरिष्ठता का नियम, राज्य द्वारा संशोधित किया गया और 2012 के नियम को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया—अपीलें खारिज की गईं।

(कंडिका 13, 38, 39, 41, 42)

न्याय दृष्टान्त

एस. पन्नीर सेल्वम एवं अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य, (2015) 10 एससीसी 292; एन. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 212; इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217; भारतीय संघ एवं अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान एवं अन्य, (1995) 6 एससीसी 684; अजीत सिंह जनुजा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1996) 2 एससीसी 715; जगदीश लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1997) 6 एससीसी 538; अजीत सिंह (द्वितीय) एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1999) 7 एससीसी 209 एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 212; अरुण प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5649/2008; सुशील कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2015 (2) पीएलजेआर 844; बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह, 2015 (3) पीएलजेआर 593; बीरेंद्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.16366/2015—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून; बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991

मुख्य शब्दों की सूची

वरिष्ठता; कैच-अप नियम; ग्रेडेशन सूची; रोस्टर प्वाइंट; आरक्षण के लिए नियम।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.10029/2016; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9962/2016।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1946 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री आशीष गिरि, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री मनीष कुमार, ए.सी. से ए.ए.जी. 6 तक

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री जन्मेजय गिरिधर, अधिवक्ता

(2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1951 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री आशीष गिरि, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री मनीष कुमार, ए.सी. से ए.ए.जी. 6 तक

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री जन्मेजय गिरिधर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.10029
में
2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1946

=====

अरुण कुमार महतो, पिता-श्री बिलट महतो, निवासी-109, अंबाजी अपार्टमेंट, शेखपुरा, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल-सह-मुख्य अभियंता-2 (अतिरिक्त प्रभार), ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. उप सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विशेष सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. अपर सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. श्री रामप्रवेश कुमार सिंह, पिता-याचिकाकर्ता को अज्ञात, वर्तमान पदस्थापन-मुख्य-अभियंता के तकनीकी सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, बेली रोड, पटना।
8. श्री कृष्ण नंद प्रसाद, पिता-योगानंद प्रसाद, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, बेली रोड, पटना।
9. श्री शंकर प्रसाद सिंह, पिता-स्वर्गीय राम बचन सिंह, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर।
10. श्री बिनोद कुमार अग्रवाल, पिता-श्री राम अवतार अग्रवाल, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान।
11. श्री अनिल कुमार, पिता-स्वर्गीय राम प्रसाद साहू, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, पटना।
12. श्री इंदु भूषण प्रसाद, पिता-स्वर्गीय सुरेश प्रसाद कुशवंशी, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी।
13. श्री राजीव रंजन शर्मा, पिता-याचिकाकर्ता को अज्ञात, वर्तमान पदस्थापन-अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।
14. मो. शाहिद हुसैन, पिता-मोहम्मद अनवर आलम, वर्तमान पदस्थापन-ओ.एस.डी., सचिव प्रकोष्ठ, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, बेली रोड, पटना।
15. मो.यूसुफ जफर, पिता-मोहम्मद बलियुद्दीन, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के

तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया।

16. श्री सुभाष चंद्र, पिता-श्री राम चंद्र प्रसाद, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।
17. श्री कमर जावेद, पिता-मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम।
18. मो. रियासुद्दीन, पिता-मोहम्मद सहाबुद्दीन, वर्तमान पदस्थापन-कार्यकारी अभियंता, निगरानी सह मूल्यांकन, मुख्य अभियंता कार्यालय-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, बेली रोड, पटना।
19. मो. कैसर रशीद, पिता-डॉ. एस. के. रहमतुल्लाह, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा।
20. श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, पिता-स्वर्गीय जगदीश नारायण ठाकुर, वर्तमान पदस्थापन-कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, खडगपुर, तारापुर और अतिरिक्त प्रभार-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर।
21. श्री लोकनाथ सिंह, पिता-याचिकाकर्ता को अज्ञात, वर्तमान पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9962

में

2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1951

=====

1. रामजी चौधरी, पिता-स्वर्गीय माणिक चंद चौधरी, निवासी-विश्वेश्वरैया नगर, नहर पार, बेली रोड, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, पीएमसीएच, पटना-रूपसपुर, डाकघर-दानापुर कैंट, पटना।
2. लक्ष्मी नारायण पासवान, पिता-स्वर्गीय राम किशुन पासवान, निवासी, ग्राम, डाकघर-बिक्रमपुर बलिया, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी।
3. ओम प्रकाश मांझी, पिता-स्वर्गीय लक्ष्मी मांझी, निवासी-ग्राम राजापुर, डाकघर और थाना-एकमा, जिला-छपरा (सारण)।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपने प्रधान सचिव, पुराने सचिवालय, पटना के माध्यम से सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार।
3. सचिव, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विशेष सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. सचिव, सिंचाई भवन, पटना के माध्यम से जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. अपने सचिव, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग।
8. श्री राम प्रवेश कुमार सिंह, पिता-अज्ञात, पदस्थापन-मुख्य अभियंता के तकनीकी सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
9. श्री कृष्ण नंद प्रसाद, पिता-स्वर्गीय योगानंद प्रसाद, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण निर्माण विभाग, बेली रोड, पटना।
10. श्री शंकर प्रसाद सिंह, पिता-स्वर्गीय राम बचन सिंह, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग कार्य अंचल, समस्तीपुर।
11. श्री बिनोद कुमार अग्रवाल, पिता-श्री राम अवतार अग्रवाल, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, सिवान।
12. श्री अनिल कुमार, पिता-स्वर्गीय राम प्रसाद साहू, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, योजना और विकास विभाग, पटना।
13. श्री इंदु भूषण प्रसाद कुशवंशी, पिता-स्वर्गीय सुरेश प्रसाद कुशवंशी, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी।
14. श्री राजीव रंजन शर्मा, पिता-अज्ञात, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।
15. मो. शाहिद हुसैन, पिता- मोहम्मद अनवर आलम, पदस्थापन-ओ. एस. डी., सचिव प्रकोष्ठ, ग्रामीण निर्माण विभाग, पटना।
16. मो. यूसुफ जफर, पिता- मोहम्मद बलियुद्दीन, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया।
17. श्री सुभाष चंद्र, पिता-श्री राम चंद्र प्रसाद, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, दरभंगा।

18. मो. कमर जावेद, पिता-मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, सासाराम।
19. मो. रियाजुद्दीन, पिता-मोहम्मद सहाबुद्दीन, पदस्थापन-कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता-4 के निगरानी सह मूल्यांकन कार्यालय, ग्रामीण निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
20. मो. कैसर रशीद, पिता-डॉ. एस. के. रहमतुल्लाह, पदस्थापन-अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सचिव सह अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल, छपरा।
21. श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, पिता-स्वर्गीय जगदीश नारायण ठाकुर, पदस्थापन-कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, खड़गपुर, तारापुर और अतिरिक्त प्रभार- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य अंचल मुंगेर।
22. श्री ध्रुव जी प्रसाद, पिता-स्वर्गीय शंकर प्रसाद, पदस्थापन-कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्य प्रभाग, किशनगंज-2

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1946 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री आशीष गिरि, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मनीष कुमार, ए. सी. से ए. ए. जी. 6 तक
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री जन्मेजय गिरिधर, अधिवक्ता

(2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1951 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री आशीष गिरि, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मनीष कुमार, ए.सी. से ए.ए.जी. 6 तक
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री जन्मेजय गिरिधर, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

दिनांक: 25-09-2023

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. दो अपीलें, अर्थात् 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1951, जो 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9962 से उत्पन्न हुई हैं और 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1946, जो 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10029 से उत्पन्न हुई हैं, दोनों को दिनांक 28.9.2016 के एक सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है, और अब इन्हें एक साथ अधिनिर्णय के लिए लिया गया है।

3. दोनों ही मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं ने बिहार सरकार के ग्रामीण निर्माण विभाग के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना सं. 6716 दिनांक 1.6.2016 में निहित बिहार अभियंत्रण सेवा (असैनिक) श्रेणी-1 सेवाओं के कार्यपालक अभियंता और उससे ऊपर के पदों से संबंधित अंतिम क्रमोन्नति सूची को चुनौती दी है। अपीलकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की है कि बिहार अभियंत्रण सेवा (संक्षेप में 'बीईएस') श्रेणी-1 सेवा में कार्यपालक अभियंता के संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करते समय, किसी अन्य वर्ग/संवर्ग में की गई सेवा पर विचार नहीं किया जा सकता। एक और प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को केवल उसी संवर्ग में की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया जाए और अन्य राहतें भी प्रदान की जाए।

4. 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1951 में अपीलकर्ताओं का मामला इस प्रकार है:

(i) अपीलकर्ता सं. 1 को वर्ष 1985 में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1993 में उन्हें कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (बीईएस श्रेणी-1 सेवा) के पद पर पदोन्नत

किया गया और 23.9.2006 को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।

(ii) अपीलकर्ता सं. 2 को वर्ष 1987 में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1996 में उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 30.7.2008 की अधिसूचना द्वारा उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।

(iii) अपीलकर्ता सं. 3 को वर्ष 1989 में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1997 से वर्ष 1999 में उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद वर्ष 2009 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।

5. 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1946 में एकमात्र अपीलकर्ता को दिनांक 27.8.1996 की अधिसूचना द्वारा कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था और बाद में 30.7.2008 को बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था।

6. अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-॥ के संबंध में श्रेणीकरण/वरिष्ठता सूची तैयार करने में, जिसमें बिहार अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा से पदोन्नत होने वाले सहायक अभियंता शामिल हैं, बिहार अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी तरह, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 में श्रेणीकरण/वरिष्ठता सूची तैयार करते समय (जिसमें कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता शामिल होते हैं) बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 संवर्ग में सहायक अभियंता के रूप में प्रदान की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

7. उत्तरदाताओं ने वर्ष 2014 में दिनांक 13.11.2014 की अधिसूचना के माध्यम से बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-1 सेवाओं में एक अनंतिम पदक्रम सूची

जारी की, जो बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-I सेवा में संबंधित पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की गई थी। बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-II सेवा में की गई सेवा पर विचार नहीं किया गया। यद्यपि उक्त अनंतिम पदक्रम सूची कानून के अनुसार थी और इसे अंतिम बनाया जाना चाहिए था, फिर भी एक और अनंतिम पदक्रम सूची तैयार की गई और दिनांक 6.5.2016 के पत्र के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पदक्रम सूची बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-I सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर तैयार नहीं की गई है, बल्कि सहायक अभियंता के पद पर बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-II सेवा में प्रवेश की तिथि के आधार पर तैयार की गई है। इसके परिणामस्वरूप अधीक्षण अभियंता के पद पर अपीलकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को उनसे वरिष्ठ दिखाया गया है भले ही उनकी नियुक्ति अपीलकर्ताओं के काफी बाद में हुई हो।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि लोक निर्माण विभाग संहिता (संक्षेप में 'पीडब्ल्यूडी संहिता') के नियम 2 ए के तहत परिभाषित 'सेवा' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके नियम 27 में प्रावधान है कि सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण अधिकारी की सेवा में मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने अंततः यह भी प्रस्तुत किया कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जारी 28.1.2012 के संकल्प को सुशील कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 19114/2012) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द किया जा सकता था और लेटर्स पेटेंट अपील पीठ द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी, तथापि बिहार राज्य द्वारा इसके विरुद्ध की गई अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसके अलावा, इन तथ्यों के मद्देनजर, बिहार सरकार के ज्ञापन सं. 213 दिनांक

7.6.2002 में निहित संकल्प, जिसने दिनांक 30.1.1997 के पूर्व निर्णय को वापस ले लिया और आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की परिणामी वरिष्ठता को मंजूरी दे दी, लागू है और इस प्रकार उत्तरदाताओं ने अंतिम पदक्रम/वरिष्ठता सूची तैयार करने में त्रुटि की है। दिनांक 1.6.2016 की अंतिम पदक्रम सूची विधि के विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाना उचित है।

9. उत्तरदाता सं. 3 और 4 ने रिट आवेदन में दायर अपने प्रति-शपथपत्र में तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिव्यांगजन अधिकारिता संहिता के प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है और आक्षेपित क्रमोन्नति सूची पूरी तरह से कानून के अनुसार तैयार की गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र सं. 4800 दिनांक 1.4.2016 की विषय-वस्तु का हवाला देते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 19114(सुशील कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य) में पारित आदेश के अनुसरण में, जिसके द्वारा दिनांक 21.8.2012 के संकल्प को रद्द कर दिया गया था, दिनांक 1.4.2016 के पत्र में निहित निर्णय लिया गया था कि अगले आदेश तक, उच्च पद पर वरिष्ठता फीडर/मूल पद पर व्यक्ति की वरिष्ठता स्थिति के अनुसार दी जाएगी। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि पदक्रम सूची दिनांक 1.4.2016 के पत्र में निहित नवीनतम परिपत्र के अनुसार सख्ती से तैयार की गई है, इसमें कोई अवैधता नहीं है और रिट आवेदन को खारिज किया जाए।

10. निजी उत्तरदाताओं की ओर से एक अलग प्रति-शपथपत्र दायर किया गया जिसमें कहा गया कि जहाँ तक पीडब्ल्यूडी संहिता के नियम 27 में 'मूल नियुक्ति' शब्द के प्रयोग का संबंध है, यह केवल सीधी भर्ती पर ही लागू होता है। इस मुद्दे का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. पन्नीर सेल्वम एवं अन्य बनाम

तमिलनाडु सरकार एवं अन्य (2015) 10 एससीसी 292 के मामले में किया था, जिसमें यह माना गया था कि वरिष्ठता की गणना सहायक अभियंता के फीडर/प्रवेश स्तर के पद में संबंधित वरिष्ठता के आधार पर की जानी है। यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 1.4.2016 के पत्र में निहित दिशानिर्देशों के मद्देनजर, निजी उत्तरदाताओं ने 'वरिष्ठता को पुनः प्राप्त करने के' नियम के अनुसार अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर ली है। अंतिम पदक्रम सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ(2006) 8 एससीसी 212 मामले में निर्धारित कानून के अनुसार तैयार की गई है, तैयार की गई पदक्रम सूची में कोई अवैधता नहीं है और इसलिए मामले को खारिज किया जाता है।

11. 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10029, एकमात्र याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें विशेष सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 1.6.2016 के ज्ञापन सं. 6717 द्वारा प्रकाशित अंतिम पदक्रम सूची को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, ताकि उत्तरदाताओं को अंतिम पदक्रम सूची को संशोधित करने और याचिकाकर्ता को उचित स्थान पर रखने का निर्देश दिया जा सके। 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9962 तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा भी दायर की गई थी, जिसमें कार्यकारी अभियंता के पद के संबंध में दिनांक 1.6.2016 की अंतिम पदक्रम सूची को रद्द करने, यह घोषित करने के लिए कि कार्यकारी अभियंता और उससे ऊपर के पदों के संबंध में वरिष्ठता सूची केवल कार्यकारी अभियंता के संवर्ग में की गई सेवा अवधि के आधार पर तैयार की जाए (क्योंकि यह बिहार अभियंत्रण सेवा (असैनिक) श्रेणी । का एक अलग संवर्ग है) और तदनुसार वरिष्ठता सूची को पुनर्निर्धारित किया जाए। दोनों रिट आवेदनों को 28.9.2016 के सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है, तत्काल अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता, निजी उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

13. अपीलकर्ता विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन सं. 6717 दिनांक 1.6.2016 में निहित बीईएस (दीवानी) संवर्ग के सभी समूहों की अंतिम श्रेणी/वरिष्ठता सूची से व्यथित हैं, इस आधार पर कि उनके मामले के अनुसार, अपीलकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को उनसे वरिष्ठ दिखाया गया है।

14. जिन विभागों में अपीलकर्ता तैनात किए जाते हैं, वे लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं। पीडब्ल्यूडी संहिता के अनुसार, पीडब्ल्यूडी की स्थापना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) बिहार अभियंत्रण सेवा, वर्ग-I;
- (ii) बिहार अभियंत्रण सेवा, वर्ग-II;
- (iii) बिहार अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा;
- (iv) राजस्व प्रतिष्ठान;
- (v) कार्यालय प्रतिष्ठान;
- (vi) लघु प्रतिष्ठान।

15. बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II संवर्ग में केवल सहायक अभियंता का पद होता है। बिहार अभियंत्रण सेवा श्रेणी-1 संवर्ग में कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता के पद शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी संहिता के अनुसार कार्यकारी अभियंता के पद पर भर्ती सीधी भर्ती के साथ-साथ बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से की जाती है।

16. मामले के अभिलेखों से यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने

दिनांक 13.11.2014 की अधिसूचना के माध्यम से बीईएस वर्ग-I और बीईएस वर्ग-II दोनों की अनंतिम ग्रेडेशन सूची जारी की। अपीलकर्ताओं के अनुसार, यह सूची बीईएस वर्ग-I सेवा के संबंधित पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की गई थी, न कि बीईएस वर्ग-II सेवा में की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए। उत्तरदाताओं ने हालांकि इस पर आगे कार्रवाई नहीं की और 6.5.2016 को एक नई अनंतिम पदक्रम सूची जारी की, जिस पर दस दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। अपीलकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां दर्ज की। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना सं. 6716 दिनांक 1.6.2016 द्वारा, उत्तरदाताओं ने अंतिम पदक्रम सूची जारी की, जिसे रिट आवेदन में चुनौती दी गई थी। चुनौती विफल होने के बाद, तत्काल अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

17. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16(1) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। साथ ही, अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में पदों पर नियुक्ति के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिनका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ** के मामले में निर्णय; 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217 के कारण वर्ष 1995 में संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड (4 ए) जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4 ए) में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने से रोकेगा, जहाँ राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में उनका

पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

18. भारत संघ व अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान व अन्य; (1995)

6 एससीसी 684 के मामले में, यह प्रश्न उठा कि क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति, जो सामान्य वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति से कनिष्ठ है और आरक्षण के कारण त्वरित पदोन्नति प्राप्त करता है, उसे भी परिणामी वरिष्ठता मिलेगी या सामान्य वर्ग में उससे वरिष्ठ व्यक्ति को बाद में पदोन्नति मिलने पर, सामान्य वर्ग के व्यक्ति की वरिष्ठता बहाल हो जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद सं. 24 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"24. ...संक्षेप में, यदि राज्य को ऐसा करने की सलाह दी जाती है, तो वह यह कह सकता है कि किसी विशेष सेवा, वर्ग या श्रेणी में पदोन्नति के मामले में आरक्षण नियम लागू होगा और रॉस्टर का पालन किया जाएगा, आरक्षण/रॉस्टर नियम के आधार पर पहले पदोन्नत उम्मीदवार फीडर श्रेणी में अपने वरिष्ठ से वरिष्ठता का हकदार नहीं होगा और जब भी फीडर श्रेणी में उससे वरिष्ठ कोई सामान्य उम्मीदवार पदोन्नत होता है, तो ऐसा सामान्य उम्मीदवार आरक्षित उम्मीदवार से अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा, भले ही उसे आरक्षित उम्मीदवार के बाद पदोन्नत किया गया हो। इसमें कोई असंवैधानिकता शामिल नहीं है। राज्य को ऐसा प्रावधान करने की अनुमति है..."

19. इसे बाद में "वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने का नियम" के रूप में जाना जाने लगा। अजीत सिंह जनुजा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1996) 2 एससीसी 715 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले से सहमति जताते हुए यह निर्णय दिया कि पदोन्नत श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता उनकी पैल स्थिति के आधार पर, यानी निचले श्रेणी में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता

के आधार पर, बनी रहेगी। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि आरक्षण का नियम त्वरित पदोन्नति तो देता है, लेकिन त्वरित परिणामी वरिष्ठता नहीं देता।

20. उपरोक्त दो निर्णयों के बाद, **जगदीश लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** (1997) 6 एससीसी 538 के मामले में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि कोई व्यक्ति किसी संवर्ग/श्रेणी में नियुक्ति होते ही अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर देता है। उसकी वरिष्ठता उस तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि उसकी नियुक्ति केवल एक अस्थायी व्यवस्था या *तदर्थ* या नियमों के विरुद्ध न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसा कि जगदीश लाल (उपरोक्त) के मामले में देखा जा सकता है, वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) और अजीत सिंह जनुजा (उपरोक्त) के मामले में अपने पूर्व निर्णयों से अलग दृष्टिकोण अपनाया।

21. आरक्षित उम्मीदवारों की वरिष्ठता से संबंधित प्रश्न, जिन्हें पहले रोस्टर अंकों के परिणामस्वरूप वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों के रूप में पदोन्नत किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। **अजीत सिंह (द्वितीय) और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**; (1999) 7 एससीसी 209। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) के मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को रोस्टर पॉइंट पर पहले पदोन्नति मिली हो तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को बाद में पदोन्नति मिलती है, तो राज्य यह प्रावधान कर सकता है कि जब भी वरिष्ठ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पदोन्नति मिले, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से वरिष्ठ माना जाएगा (पदोन्नति स्तर पर भी रोस्टर पॉइंट पर पदोन्नत व्यक्ति) जब तक कि उक्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को किसी उच्च पद पर आगे पदोन्नति न मिल गई हो)। इसे "वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने का नियम" के रूप में

वर्णित किया गया था। अजीत सिंह (द्वितीय) (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) में निर्धारित "वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने" के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इसने आगे कहा कि वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) और अजीत सिंह (II) (उपरोक्त) में निर्णय सही ढंग से लिए गए थे, जबकि जगदीश लाल (उपरोक्त) के मामले में आए निष्कर्ष को गलत माना गया था।

22. इस स्तर पर, **अजीत सिंह (II)** (उपरोक्त) के निर्णय से कंडिका सं.13 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जिसमें उक्त निर्णय में विचारार्थ उठाए गए बिंदुओं का उल्लेख है:

"13. उपरोक्त तर्कों पर, निम्नलिखित चार मुख्य बिंदु विचारार्थ उठते हैं:

बिंदु

(1) क्या रोस्टर-बिंदु पदोन्नत (आरक्षित श्रेणी) पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता की गणना अपने निरंतर कार्यकाल की तिथि से उन सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में कर सकते हैं जो निम्न श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में उसी स्तर पर पदोन्नत किया गया था?

(2) क्या वीरपाल और अजीत सिंह का निर्णय सही ढंग से किया गया है और क्या जगदीश लाल का निर्णय सही ढंग से किया गया है?

(3) क्या सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत "वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने का" सिद्धांत तर्कसंगत हैं?"

(4) सभरवाल के "संभावित" कार्यवाही का क्या अर्थ है और अजीत सिंह किस हद तक संभावित हो सकते हैं?

23. रोस्टर बिंदु पर पदोन्नत व्यक्तियों, अर्थात् पदोन्नत श्रेणी में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों और सामान्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता के संबंध में प्रश्न पर विचार किया गया और **अजीत सिंह (II)** (उपरोक्त) के निर्णय से इस मुद्दे से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

“(iii) रोस्टर पदोन्नति की वरिष्ठता

43. सवाल यह है कि क्या आरक्षित उम्मीदवारों को स्तर 1 से स्तर 2 तक रोस्टर-बिंदु पदोन्नति भी स्तर 2 पर वरिष्ठता देगी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

44. हम यहाँ आरक्षित उम्मीदवारों की ओर से दिए गए तर्कों की दो पंक्तियों का उल्लेख करेंगे। अजीत सिंह, जसवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार, शिक्षा विभाग के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के विरुद्ध एक अपील थी। उस मामले में, आरक्षित उम्मीदवारों ने पंजाब सरकार द्वारा जारी 19-7-1969 के एक सामान्य परिपत्र पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि रोस्टर-बिंदु पदोन्नति भी वरिष्ठता प्रदान करेगी। वास्तव में, सामान्य उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि राज्य 19-7-1969 के परिपत्र के अनुसार आरक्षित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को उनकी पदोन्नति की तिथि से गिनने के लिए बाध्य है। सामान्य उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील में इस न्यायालय ने अजीत सिंह मामले में पूर्ण पीठ के फैसले को पलट दिया था। इसके परिणामस्वरूप रोस्टर-बिंदु पदोन्नतियों की वरिष्ठता के संबंध में उपरोक्त घोषणा को रद्द कर दिया गया, जैसा कि पंजाबपरिपत्र दिनांक 19-7-1969 में कहा गया था।

45. लेकिन हमारे सामने, आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा, जैसा कि जगदीश लाल मामले में किया गया था, विभिन्न पंजाब सेवा नियमों में निहित सामान्य वरिष्ठता नियम पर भरोसा किया गया था, जो असैनिक सचिवालय, शिक्षा, वित्त आयुक्त आदि विभागों में लागू होते हैं। ये नियम आमतौर पर भर्ती की पद्धति, परीक्षा, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित होते हैं। ये सभी नियम वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए एक ही योजना प्रदान करते हैं और फिर पदोन्नति पद पर वरिष्ठता का निर्धारण "निरंतर पदस्थापन" की तिथि से किया जाता है, जब भी पदोन्नति उन नियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार होती है। पदोन्नति स्तर

पर "निरंतर पदस्थापन" से संबंधित इस वरिष्ठता नियम पर ही आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरोसा किया गया था, जैसा कि जगदीश लाल मामले में किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या रोस्टर-बिंदु पदोन्नत व्यक्ति ऐसे वरिष्ठता नियम पर भरोसा कर सकते हैं?

46. इस संदर्भ में दो मूलभूत अवधारणाओं को याद रखना आवश्यक है।

क) पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित वैधानिक नियम

47. हम पंजाब में इन सेवाओं में से एक में नियमों पर विचार करेंगे- अर्थात् अजीत सिंह से संबंधित नियम जिनमें वर्तमान आई. ए. दाखिल किए गए हैं।

48. श्रेणी I, II और III सेवाओं के लिए नियमों के तीन समुच्चय हैं। पंजाब सचिवालय श्रेणी III सेवा नियम, 1976 लिपिक (स्तर 1), सहायक (स्तर 2) और अधीक्षक श्रेणी II (स्तर 3) के पदों से संबंधित हैं। इन दोनों स्तर 1 और 2 में से प्रत्येक पर, एक रोस्टर है जो आरक्षण लागू करता है। यह आरक्षण पंजाब में दिनांक 19-7-1969 के परिपत्र के अनुसार है। स्तर 1 से स्तर 2 और स्तर 2 से स्तर 3 तक पदोन्नति के लिए, कर्मचारी क्रमशः पदोन्नति के नियम 7 और वरिष्ठता के नियम 9 द्वारा शासित होते हैं। नियम 7(1) के परंतुक (iii) में यह प्रावधान है कि सभी पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाएँगी और किसी भी व्यक्ति को केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का अधिकार नहीं होगा। नियम 9 निरंतर पदावधि की तिथि से वरिष्ठता की बात करता है।

49. असैनिक सचिवालय सेवा वर्ग II सेवा नियम, 1963 अधीक्षकों (श्रेणी I) अर्थात् स्तर 4 से संबंधित है और नियम 8(2) में कहा गया है कि वर्ग II में उपरोक्त पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती है और नियम 10 में कहा गया है कि वरिष्ठता की गणना निरंतर पदस्थापन की

तिथि से की जाएगी। वर्ग II से ऊपर वर्ग I है जिसमें अवर सचिव (स्तर 5) और उप सचिव (स्तर 6) के पद शामिल हैं। पंजाब दीवानी सचिवालय वर्ग I नियम, 1974 का नियम 6(3) वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति का उल्लेख करता है जबकि नियम 8 निरंतर पदस्थापन द्वारा वरिष्ठता की बात करता है। वर्ग II और वर्ग I में पदोन्नति के लिए कोई रोस्टर पदोन्नति नहीं है, अर्थात् कोई आरक्षण नहीं है। केवल वर्ग III पदों पर दो चरणों में रोस्टर के माध्यम से आरक्षण है।

50. इसलिए यह स्पष्ट है कि पदोन्नति में "निरंतर कार्यपालन" से संबंधित वरिष्ठता नियम कक्षा I, II और III में प्रत्येक सेवा में सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि द्वारा भर्ती की सामान्य योजना का हिस्सा है और यह पदोन्नति के लिए समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी राय में, यह केवल ऐसी पदोन्नति के लिए है कि "निरंतर कार्यपालन" का वरिष्ठता नियम आकर्षित होता है।

ख) वरिष्ठता के वैधानिक नियम को अलग नहीं किया जा सकता है और रोस्टर-बिंदु पदोन्नति पर लागू नहीं किया जा सकता है।

51. जैसा कि अजीत सिंह मामले में ऊपर बताया गया है, नियम 7(1) के परंतुक (iii) में पदोन्नति नियम और 1976 के तृतीय श्रेणी नियमों के अंतर्गत नियम 9 में वरिष्ठता नियम एक ही योजना बनाते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में, केवल तभी जब अधिकारी सहायकों (स्तर 2) के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा नियम 7(1) के परंतुक (iii) में उल्लिखित तरीके से अधीक्षक श्रेणी II (स्तर 3) के स्तर तक पहुँच गए हों और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके मामलों पर विचार करने के बाद ही अधीक्षक श्रेणी II (स्तर 3) के पद पर निरंतर पदावधि से संबंधित नियम लागू किया जा सकता है। यहाँ अजीत सिंह में लेवल 1 से लेवल 2 और लेवल 2 से लेवल 3 में पदोन्नति के लिए एक रोस्टर है। परिणाम यह है कि रोस्टर-बिंदु पदोन्नति प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में, जो रोस्टर

के अनुसार अधीक्षक श्रेणी II (लेवल 3) के रूप में पदोन्नत होते हैं, — जिन्हें 1976 के नियम 7(1) प्रावधान (iii) के अनुसार पदोन्नत नहीं किया गया है अर्थात् सहायक स्तर (लेवल 2) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके मामलों पर विचार करने के बाद, — वे 1976 के नियमों के नियम 9 पर भरोसा नहीं कर सकते जो अधीक्षक श्रेणी II (लेवल 3) के रूप में "निरंतर कार्यभार" की तिथि से वरिष्ठता से संबंधित है। वरिष्ठता नियम को समान अवसर पर आधारित भर्ती नियम से अलग करना और उसे रोस्टर के आधार पर की गई पदोन्नतियों पर लागू करना स्वीकार्य नहीं है, जो पदोन्नतियाँ समान अवसर के सिद्धांत के बाहर की जाती हैं।"

(जोर दिया गया)

24. अजीत सिंह (II) (उपरोक्त) के कंडिका सं. 56 और 57, जिसमें जगदीश लाल (उपरोक्त) के मामले का निपटारा किया गया था और यह माना गया था कि इस मामले का निर्णय सही ढंग से नहीं हुआ है, को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

"56. इस प्रकार, तृतीय श्रेणी के साथ-साथ द्वितीय श्रेणी (समूह ख) सेवाओं में, "निरंतर स्थानापन्नता" नियम को समान अवसर पर आधारित पदोन्नति नियम के साथ जोड़ा गया था, जैसा कि अजीत सिंह मामले में [(1996) 2 एससीसी 715: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 540: (1996) 33 एटीसी 239] में किया गया था और एक ही योजना बनाई गई थी।

57. न्यायालय ने जगदीश लाल [(1997) 6 एससीसी 538: 1997 एससीसी (एल एंड एस) 1550] में नियम 11 को भर्ती नियमों से अलग कर दिया और उसे रोस्टर पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू किया। अजीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 715: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 540: (1996) 33 एटीसी 239] के संबंध में पहले ही दिए गए कारणों से, हम मानते हैं कि जगदीश लाल [(1997) 6 एससीसी 538: 1997 एससीसी (एल एंड एस) 1550]

निरंतर पदावनति के नियम को लागू करने के कारण गलत निष्कर्ष पर पहुँचे, जिसका उद्देश्य रोस्टर अंकों पर पदोन्नत आरक्षित उम्मीदवारों पर लागू होना नहीं था।

25. इसके अलावा अजीत सिंह (द्वितीय) (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका सं.66 यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब परिपत्र दिनांक 19.7.1969, जिसमें 'रोस्टर अंकों को वरिष्ठता अंक' घोषित किया गया था और जिसे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा वैध ठहराया गया था, को उलट दिया गया था। अजीत सिंह (II) (उपरोक्त) के कंडिका सं. 66 का प्रासंगिक अंश नीचे तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है:

"66. वीरपाल मामले में न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं था कि क्या कोई परिपत्र - यदि वह रोस्टर-बिंदु पदोन्नत (आरक्षित उम्मीदवारों) को वरिष्ठता प्रदान करता है- वैध माना जा सकता है। लेकिन, अजीत सिंह मामले में, जो कि जसवंत सिंह मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ एक अपील थी, यह न्यायालय पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 19-7-1969 के पंजाब परिपत्र (पूर्ण पीठ की कंडिका 29 देखें) के कार्यान्वयन के लिए की गई एक घोषणा पर विचार कर रहा था, जिसमें सकारात्मक रूप से घोषित किया गया था कि "रोस्टर बिंदु वरिष्ठता बिंदु थे"। इसलिए अजीत सिंह मामले में इस न्यायालय को ऐसे परिपत्र की वैधता पर विचार करना पड़ा। अजीत सिंह मामले में इस न्यायालय ने माना कि जसवंत सिंह मामले में पूर्ण पीठ के विवादित फैसले में पंजाब परिपत्र के आधार पर दी गई घोषणा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) के विपरीत होगी। इसलिए इस न्यायालय को यह निर्धारित करना पड़ा कि रोस्टर-बिंदु पदोन्नत व्यक्तियों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी परिपत्र, आदेश या नियम अमान्य होगा। इस प्रकार, अजीत सिंह मामले में लिए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजीत सिंह (II) (उपरोक्त) के कंडिका सं. 80 से 82 में आगे कहा कि यदि कोई वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी बाद में

उसी स्तर पर पहुँच जाता है जहाँ आरक्षित अभ्यर्थी को रोस्टर पॉइंट के आधार पर पहले पदोन्नत किया गया था, तो वरिष्ठता सूची में संशोधन करके सामान्य अभ्यर्थी को उससे वरिष्ठ दर्शाया जाना होगा। कंडिका सं. 80 से 82 नीचे उद्धृत हैं:

“80. जहाँ तक सामान्य उम्मीदवारों के इस अतिवादी तर्क का सवाल है कि स्तर 3 पर, रोस्टर उम्मीदवार को स्तर 4 में पदोन्नत होने से पहले स्तर 3 पर प्रतीक्षा करनी होगी- जब तक कि स्तर 1 का अंतिम वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर 3 तक नहीं पहुँच जाता, - हम इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह दोनों समूहों के उम्मीदवारों के अधिकारों के बीच उचित संतुलन स्थापित नहीं करेगा। न ही हम यह स्वीकार करते हैं कि पदों को रिक्त रखा जाना चाहिए और रोस्टर उम्मीदवारों की कोई पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए।

अन्य वरिष्ठता को पुनः प्राप्त करने का नियम

81. जैसा कि वीरपाल (देखें एससीसी पृष्ठ 702) और अजीत सिंह (देखें एससीसी पृष्ठ 729) में स्वीकार किया गया है, हम मानते हैं कि यदि स्तर 2 (सहायक) का कोई वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर 3 (अधीक्षक श्रेणी II) तक पहुँच जाता है, इससे पहले कि स्तर 3 का आरक्षित उम्मीदवार (रोस्टर-बिंदु पदोन्नत) स्तर 4 तक आगे बढ़े, तो उस स्थिति में स्तर 3 की वरिष्ठता को ऐसे सामान्य उम्मीदवार को रोस्टर पदोन्नत से ऊपर रखकर संशोधित किया जाना चाहिए, जो स्तर 2 पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को दर्शाता है। इसके अलावा, स्तर 4 में पदोन्नति स्तर 3 पर ऐसी संशोधित वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात्, स्तर 2 का वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर 3 पर भी आरक्षित उम्मीदवार से वरिष्ठ रहेगा, भले ही बाद वाला पहले स्तर 3 पर पहुँच गया हो और वहाँ तब भी रहा हो जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार उस स्तर 3 पर पहुँचा था। ऐसे मामलों में जहाँ आरक्षित उम्मीदवार स्तर 4 तक पहुँच गया है, वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की स्तर 4 पर वरिष्ठता (जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है) इस आधार पर पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए कि यदि वरिष्ठ सामान्य

उम्मीदवारों के मामले पर स्तर 3 पर समय पर विचार किया गया होता, तो आरक्षित उम्मीदवार के स्तर 4 में पदोन्नति का समय कब आता। उपरोक्त सीमा तक, हम सामान्य उम्मीदवारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के पहले भाग को स्वीकार करते हैं। हमारे विचार में, ऐसी प्रक्रिया आरक्षित उम्मीदवारों के अधिकारों और सामान्य उम्मीदवारों को अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखेगी।

वरिष्ठता सूची में संशोधन करने में कोई कठिनाई नहीं

82. हमारे सामने उठाई गई आपत्तियों में से एक और जिसने जसवंत सिंह मामले में पूर्ण पीठ को अपील की थी, वह यह थी कि इस "वरिष्ठता को पुनः प्राप्त करने के " सिद्धांत से स्तर 3 पर वरिष्ठता सूची में बार-बार बदलाव होगा। हम इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं पाते हैं। स्तर 3 पर वरिष्ठता सूची को केवल तभी संशोधित करना होगा जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर 3 पहुंचता है।" (जोर दिया गया)

27. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से वीरपाल सिंह चौहान और अजीत सिंह जानुजा के मामले में, भारत सरकार ने संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 लाया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया (पूर्वव्यापी रूप से 17.6.1995 से प्रभावी) जिसमें "किसी भी वर्ग में पदोन्नति के मामलों में" शब्दों को "किसी भी वर्ग में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित अनुच्छेद 16 (4 ए) जैसा कि यह 85 वें संविधान संशोधन के बाद है, जिसे 4.1.2002 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, इस प्रकार हैः.

"[(4A). इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष

में, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।]”

28. बिहार सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 7.6.2002 के ज्ञापन सं. 213 में निहित संकल्प (अपीलकर्ताओं के पूरक शपथपत्र का अनुलग्नक-एस/1) जारी किया, जिसमें प्रावधान था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वीरपाल सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, बिहार सरकार ने 30.1.1997 को निर्णय जारी किया था, जिसमें प्रावधान था कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से पहले उच्च पद/श्रेणी पर पदोन्नति प्राप्त करता है और सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को बाद में पदोन्नत किया जाता है, तो सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को उसकी पूर्व वरिष्ठता वापस मिल जाएगी। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया कि 85 वें संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 16(4 ए) में संशोधन करते हुए, 30.1.1997 के पूर्व निर्णय को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति से पहले पदोन्नति मिलती है, तो सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उक्त व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए अंकों के आधार पर, पहले पदोन्नत हुए व्यक्ति से कनिष्ठ होगा।

29. संविधान (85 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001, अनुच्छेद 16(4 ए) (पूर्वव्यापी प्रभाव से 17.6.1995) को शामिल करते हुए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करता है साथ ही परिणामी वरिष्ठता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **एम. नागराज बनाम भारत संघ** मामले में चुनौती दी गई; (2006) 8 एसीसी 212। इसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इंद्रा साहनी (उपरोक्त) के मामले में, यह माना गया

था कि अनुच्छेद 16(4) के तहत, पिछड़े वर्ग को आरक्षण केवल प्रारंभिक भर्ती के समय ही अनुमेय था, पदोन्नति में नहीं। विवादित संशोधन ने अन्य मामलों के अलावा, वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त), अजीत सिंह (I) (उपरोक्त), अजीत सिंह (II) (उपरोक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उलट दिया था। यह माना गया कि 'वरिष्ठता पुनः प्राप्त करने का नियम' की अवधारणा पहली बार वीरपाल सिंह चौहान (उपरोक्त) मामले में सामने आई थी। जहाँ तक अनुच्छेद 16(4) और 16(4 ए) का संबंध है, वे आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करते थे, बल्कि केवल सक्षमकारी प्रावधान थे। यह उपयुक्त सरकार का काम था कि वह संवर्ग सं. को एक इकाई के रूप में लागू करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। अनुच्छेद 16(4 ए) में संशोधनों ने राज्य को यह स्वतंत्रता दी कि किसी उपयुक्त मामले में, जमीनी हकीकत के आधार पर, वह सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान कर सकता है और राज्य को प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर अपनी राय बनानी होगी। एम. नागराज (उपरोक्त) मामले में अनुच्छेद सं. 86 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"86. खंड (4-ए) अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (4) में निर्दिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है। अनुच्छेद 16 का खंड (4-ए) प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के मामले में राज्यों की राय पर जोर देता है। यह राज्य को किसी उपयुक्त मामले में जमीनी वास्तविकता के आधार पर सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य को प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक आंकड़ों पर अपनी राय बनानी होगी। अनुच्छेद 16 का खंड (4-ए) एक सक्षम प्रावधान है। यह राज्य को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 16 का खंड (4-ए) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। उक्त खंड अनुच्छेद 16 (4) से बनाया गया है। इसलिए,

खंड (4-ए) दो बाध्यकारी कारणों से शासित होगा-"पिछड़ेपन" और "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता", जैसा कि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लेख किया गया है। यदि उक्त दो कारण मौजूद नहीं हैं तो सक्षम करने वाला प्रावधान लागू नहीं हो सकता है। राज्य आरक्षण का प्रावधान तभी कर सकता है जब उपरोक्त दो परिस्थितियाँ मौजूद हों। इसके अलावा, अजीत सिंह (द्वितीय) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "पिछड़ेपन" और "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता" के अलावा राज्य "समग्र दक्षता" (अनुच्छेद 335) को भी ध्यान में रखेगा। इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में उपयुक्त सरकार द्वारा तीनों कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

30. आगे कंडिका सं.102 एम. नागराज (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 'पकड़ नियम' और परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा संवैधानिक आवश्यकताएं नहीं हैं और न ही वे अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 4 में निहित हैं। वे संवैधानिक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि सेवा न्यायशास्त्र से प्राप्त अवधारणाएं हैं। अनुच्छेद 16 (4) की आवश्यकता के अनुसार, हालांकि यह राज्य को आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य को संतुष्ट होना चाहिए कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता में पिछड़ेपन की परिस्थितियाँ मौजूद हैं और उक्त संतुष्टि मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। यदि राज्य पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता की पहचान करने और मापने में विफल रहता है, तो आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा। कंडिका सं.102 का प्रासंगिक भाग नीचे निष्कर्षित किया गया है:

"102. मूल संरचना के सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में, दो परीक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्, "चौड़ाई परीक्षण" और "पहचान" परीक्षण। जैसा कि ऊपर कहा गया है, "वरिष्ठता पुनः

प्राप्त करने का" नियम और "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणाएँ संवैधानिक आवश्यकताएँ नहीं हैं। ये अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) में निहित नहीं हैं। ये संवैधानिक सीमाएँ नहीं हैं। ये सेवा न्यायशास्त्र से व्युत्पन्न अवधारणाएँ हैं। ये संवैधानिक सिद्धांत नहीं हैं। ये धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जैसे स्वयंसिद्ध सिद्धांत नहीं हैं। इन अवधारणाओं को हटाने या इन्हें शामिल करने से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा निर्दिष्ट समानता संहिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुच्छेद 16 का खंड (1) राज्य को समाज में पिछड़े वर्गों के अनिवार्य हितों का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकता। खंड (1) और अनुच्छेद 16 की धारा (4) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के सिद्धांत की पुनः व्याख्या हैं। अनुच्छेद 16 का खंड (4) आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई का उल्लेख करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 16 का खंड (4) यह कहता है कि उपयुक्त सरकार उन मामलों में आरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है जहाँ वह मात्रात्मक आँकड़ों के आधार पर संतुष्ट है कि पिछड़े वर्ग का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसलिए, प्रत्येक मामले में जहाँ राज्य आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लेता है, वहाँ दो परिस्थितियाँ अवश्य होनी चाहिए, अर्थात्, "पिछड़ापन" और "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता"। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं। ये का क संदर्भ-विशिष्ट हैं। इन तीन कारकों की पहचान और माप के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके की सीमाएँ हैं। इनमें से किसी भी सीमा को आलोचना किए गए संशोधनों द्वारा नहीं हटाया गया है। यदि संबंधित राज्य इन कारकों की पहचान और माप करने में विफल रहता है पिछड़ापन, अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता के संदर्भ में, तो उस स्थिति में आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा....."

(जोर दिया गया)

31. एम. नागराज (उपरोक्त) के कंडिका सं. 107 में आगे यह निर्णय

दिया गया है:-

"107. संवैधानिक संशोधनों की प्रकृति को ध्यान में रखना

महत्वपूर्ण है। ये संशोधन स्वभाव से ही उपचारात्मक होते हैं। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) एक सामाजिक वर्ग के विरुद्ध पूर्व ऐतिहासिक भेदभाव के समाधान के रूप में अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 16(4), 16(4-ए) और 16(4-बी) जैसे सक्षमकारी प्रावधानों को अधिनियमित करने का उद्देश्य राज्य को बाध्यकारी हितों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने का अधिकार प्रदान करना है। यदि राज्य के पास पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को दर्शाने के लिए मात्रात्मक आंकड़े हैं, तो राज्य दक्षता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है, जिसे अनुच्छेद 335 द्वारा निर्दिष्ट आरक्षण देने में राज्य के विवेक पर एक संवैधानिक सीमा माना जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दक्षता, पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जैसी अवधारणाओं की पहचान और मापन आवश्यक है। यह प्रक्रिया आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है। इसी कारण से सक्षमकारी प्रावधान किए जाने आवश्यक हैं क्योंकि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दावा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इन परस्पर विरोधी दावों का सर्वोत्तम अनुकूलन कैसे किया जाए, यह केवल प्रशासन द्वारा ही स्थानीय प्रचलित सार्वजनिक रोजगार की स्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। यह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, "कानून में समानता" और "तथ्य में समानता" के बीच एक बुनियादी अंतर है (विलियम डारिटी द्वारा सकारात्मक कार्रवाई देखें)। यदि अनुच्छेद 16(4-ए) और 16(4-बी) अनुच्छेद 16(4) से निकलते हैं और यदि अनुच्छेद 16(4) एक सक्षमकारी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 16(4-ए) और 16(4-बी) भी सक्षमकारी प्रावधान हैं। जब तक अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित सीमाएँ, अर्थात् पिछड़ापन, अपर्याप्तता और प्रशासन की दक्षता, अनुच्छेद 16(4-ए) और 16(4-बी) में नियंत्रक कारकों के रूप में बनी रहती हैं, तब तक हम इन सक्षमकारी प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अमान्य नहीं ठहरा सकते। हालांकि, जब राज्य नियंत्रक कारकों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में विफल रहता है, तब अतिशयोक्ति आती है, जिसका

निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना है। किसी दिए गए मामले में, जहाँ अतिशयता के परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होता है, इस न्यायालय को व्यक्तिगत मामलों की जाँच करनी होगी और कानून के अनुसार मामले का निर्णय करना होगा। यह "निर्देशित शक्ति" का सिद्धांत है। हम एक बार फिर दोहरा सकते हैं कि समानता का उल्लंघन केवल शक्ति प्रदान करने से नहीं होता, बल्कि प्रदत्त शक्ति के मनमाने प्रयोग से होता है।

(जोर दिया गया)

32. इसके अलावा एम. नागराज (उपरोक्त) के कंडिका सं. 117 में, यह

निम्नानुसार माना गया:-

"117.....आरक्षण की सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर तय की जानी है। इंद्रा साहनी मामले में दिया गया निर्णय संवैधानिक संशोधनों से संबंधित नहीं है। हमारे वर्तमान निर्णय में, हम संवैधानिक संशोधनों की वैधता को सीमाओं के अधीन बनाए रखते हैं। इसलिए, प्रत्येक मामले में न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि राज्य ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने में अपनी राय व्यक्त की है और जिसके लिए संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में न्यायालय के समक्ष आवश्यक मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे और न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि ऐसे आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत अनिवार्य सेवा की सामान्य दक्षता को प्रभावित किए बिना किसी विशेष वर्ग या पदों के वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के कारण आवश्यक हो गए थे।"

(जोर दिया गया)

33. एम. नागराज (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

77 वें, 81 वें, 82 वें और 85 वें संवैधानिक संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और साथ ही यह भी माना कि यदि राज्य अपने विवेक का प्रयोग करके पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए

आरक्षण करना चाहते हैं, तो राज्य को अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, उस वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने होंगे। एम. नागराज (उपरोक्त) के अनुच्छेद सं. 123 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

"123.....राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, उस वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने होंगे....."

34. इस न्यायालय ने सुशील कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2012 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं.19114 के अभिलेखों का अवलोकन किया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र की विषय-वस्तु से यह पता चलता है कि 85 वें संविधान संशोधन के बाद, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार (जिसे बाद में सामान्य प्रशासन विभाग का नाम दिया गया) ने 7.6.2002 को ज्ञापन सं. 213 जारी किया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया। प्राप्त शिकायतों पर, जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग को ज्ञापन सं. 745 दिनांक 5.2.2008 के माध्यम से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। उक्त स्पष्टीकरण को 2008 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 5649 (अरुण प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य) और अन्य मामलों में चुनौती दी गई। रिट आवेदन को 2008 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 5649 में पारित दिनांक 8.7.2011 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया जिसके द्वारा दिनांक 5.2.2008 के पत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि सरकार ने राज्य की अभियांत्रिकी सेवाओं में

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निष्पक्ष रूप से मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने का कार्य नहीं किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गईं और जब यह अभी भी लंबित थी, एम. नागराज (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर, सरकार ने पिछड़ेपन और समग्र प्रशासनिक दक्षता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को एक नोडल विभाग बनाने का निर्णय लिया। प्रतिवेदन नोडल विभाग द्वारा तैयार की गई और सरकार को प्रस्तुत की गई और उसके बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 21.8.2012 को एक संकल्प जारी किया, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

35. उक्त संकल्प दिनांक 21.8.2012 को **सुशील कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, 2015 (2) पीएलजेआर 844 के मामले में चुनौती दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 4.5.2015 के अपने निर्णय द्वारा संकल्प को रद्द कर दिया। बिहार राज्य द्वारा इसे 2015 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 066 **बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह**; 2015 (3) पीएलजेआर 593 में चुनौती दी गई थी। दिनांक 30.7.2015 के निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। उत्तरदाताओं के अनुसार, बिहार राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2015 की एसएलपी(सी) सं. 29770/दायर की गई है और यह लंबित है।

36. दिनांक 21.8.2012 के संकल्प को 5.8.2014 को रद्द कर दिए जाने के बाद, विभाग ने एक आदेश जारी किया जो ज्ञापन सं. 11218 दिनांक 12.8.2014 में निहित है जिसके अनुसार सभी विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा

15.2.2016 को पारित आदेश द्वारा चुनौती दी गई और रद्द कर दिया गया। यह आदेश 2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16366 (बीरेंद्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित किया गया था। इन सभी तथ्यों को बताते हुए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने सभी प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग आदि को संबोधित पत्र सं. 4800 दिनांक 1.4.2016 लिखा कि विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त राय के अनुसार दिनांक 12.8.2014 के आदेश को वापस लेने और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि अगले आदेश तक मूल श्रेणी में वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी और आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सभी पूर्व परिपत्रों/निर्णयों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

37. दिनांक 1.4.2016 के उपरोक्त पत्र के बाद उत्तरदाताओं ने दिनांक 1.6.2016 की अंतिम पदक्रम सूची जारी की, जिसे अपीलकर्ताओं ने रिट आवेदनों में असफल रूप से चुनौती दी थी और जिसके आधार पर तत्काल अपीलें उत्पन्न हुई हैं।

38. जहाँ तक अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 7.6.2002 के संकल्प पर भरोसा करने का प्रश्न है, यहाँ यह कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से माना था कि राज्य को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देने के अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए, उस वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करने होंगे। वर्ष 2008 में परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण देने के उनके प्रयास को देखते हुए, जिसे इस न्यायालय ने रद्द कर दिया था और विशेष रूप से एम. नागराज (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपात

को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं ने दिनांक 21.8.2012 का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सुशील कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी रद्द कर दिया गया था और विद्वान खंडपीठ द्वारा अपील में इसकी पुष्टि की गई थी। इन तथ्यों के मद्देनजर, यह न्यायालय अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं पाता है कि 2012 के प्रस्ताव को रद्द कर दिए जाने के मद्देनजर, उत्तरदाताओं को 7.6.2002 के प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। 21.8.2012 के प्रस्ताव में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करते हुए, बिना किसी आरक्षण लाभ के, पूर्व के निर्णयों को भी तदनुसार संशोधित किया गया था। इसलिए 7.6.2002 का प्रस्ताव मान्य नहीं है।

39. जहाँ तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, यह विवाद में नहीं है कि दोनों अपीलकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं ने सहायक अभियंताओं के रूप में सेवा में प्रवेश किया। यह भी विवाद में नहीं है कि दोनों अपीलों में सभी चार अपीलकर्ता सहायक अभियंताओं के रूप में निजी उत्तरदाताओं से कनिष्ठ हैं। बिहार राज्य में पदोन्नति में आरक्षण पदों और सेवाओं में रिक्तियों के बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (संक्षेप में '1991 का अधिनियम') द्वारा शासित है। जबकि 1991 के अधिनियम की धारा 4 प्रत्यक्ष भर्ती में आरक्षण से संबंधित है, धारा 6 प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों में रोस्टर अंकों से संबंधित है और इसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया है:

“6. मॉडल सूची- (1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर की रिक्तियों के लिए एक आदर्श सूची या सीधी भर्ती के लिए 100 अंक और पदोन्नति के लिए 50 अंक निर्धारित करेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रण में प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित प्रलेटर्स में भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग-अलग

रनिंग रोस्टर बनाए रखेगा।”

40. दोनों रिट आवेदनों की विषय-वस्तु के अवलोकन से पता चलता है कि 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1951 के तीन अपीलकर्ताओं को 14.7.1993, 27.8.1996 और 4.8.1999 के विभिन्न आदेशों द्वारा कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1946 के अपीलकर्ता को 27.8.1996 की अधिसूचना द्वारा पदोन्नत किया गया था। इस तथ्य पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि ये सभी अधिसूचनाएँ सहायक अभियंता से कार्यकारी अभियंता के पद पर चार अपीलकर्ताओं की पदोन्नति के आदेश थे और ये आदेश उन्हें आरक्षित वर्ग से संबंधित होने के कारण दिए गए थे, जिससे रोस्टर अंकों के आधार पर उन्हें बारी से पहले पदोन्नति मिल सकती थी। निजी उत्तरदाता सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और रोस्टर पदोन्नतियों से वरिष्ठ हैं, अर्थात् सहायक अभियंता संवर्ग में यहाँ अपीलकर्ता, न्यायालय की राय में, 'वरिष्ठता के पुनः प्राप्त करने के नियम' के सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि वीरपाल सिंह (उपरोक्त) के मामले में माना गया था और जिसे संविधान पीठ ने अजीत सिंह (द्वितीय) के मामले में बरकरार रखा था (उपरोक्त), कार्यकारी अभियंता/अधीक्षण अभियंता के पद पर उनकी बाद की पदोन्नति पर, वे उक्त संवर्ग में अपनी वरिष्ठता (अपीलकर्ताओं अर्थात् रोस्टर पदोन्नतियों पर) पुनः प्राप्त कर लेंगे और वरिष्ठता सूची में संशोधन करना होगा, जैसा कि अजीत सिंह (द्वितीय) के मामले में किया गया था। अंतिम पदक्रम सूची तैयार करते समय उत्तरदाता प्राधिकारियों द्वारा यही किया गया था।

41. इस प्रकार, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जारी अंतिम पदक्रम सूची, निजी उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ दर्शाती है, जो कि अजीत सिंह (द्वितीय) (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के अनुरूप है। वर्तमान में रोस्टर बिंदुओं पर आरक्षण के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है।

2002 के पूर्व रोस्टर बिंदु पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की गई परिणामी वरिष्ठता का नियम राज्य द्वारा संशोधित किया गया है और 2012 के नियम को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

42. न्यायालय को अपीलकर्ताओं के मामले में कोई योग्यता नहीं मिली और दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश: मैं सहमत हूँ।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

बिभाश/शिव

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।